न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र संख्या/72/2021

1. कैलाश चन्द पुत्र स्व0 मूलचन्द जाति खण्डेलवाल वैश्य निवासी प्लाट नं. 14 सिन्धी कॉलोनी गोनेर मार्ग सांगानेर लूनियावास जयपुर।
2. मुकेश खण्डेलवाल पुत्र स्व0 मूलचन्द जाति खण्डेलवाल वैश्य निवासी प्लाट नं. 55 गणेश वाटिका विजयपुरा आगरा रोड जयपुर।
3. संदीप पुत्र स्व0 रमेश चन्द पौत्र स्व0 मूलचन्द जाति खण्डेलवाल वैश्य निवासी मकान नं. 2501 जयलाल मुन्शी का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. कृष्णाअवतार पुत्र घासीलाल
2. केदार प्रसाद पुत्र घासीलाल

   जाति खण्डेलवाल वैश्य निवासी ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा वार्ड नं. 24 दांतली जयपुर
3. राजस्थान सरकार भूमि धारक जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र

बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय   दिनांक : 27.05.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र टीआई इस आशय के साथ पेश किया गया कि ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ [illegible] दावर हल्का लूनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित [illegible] खसरा नंबर 97 रकबा 5 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन आबादी तथा खसरा नंबर 98 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा किस्म बंजड अव्वल कुल किता 2 कुल [illegible] 3 बीघा 11 बिस्वा [illegible]ज खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण की पूर्वज मुसम्मात लादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 16:43:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

बेवा रामदास जाति महाजन साकिनदेह थी जिसकी मृत्यु वर्ष 1985 में हो गयी है, प्रार्थीगण उसके वारिस है, सजरा खानदान निम्न प्रकार है :-

चन्दालाल

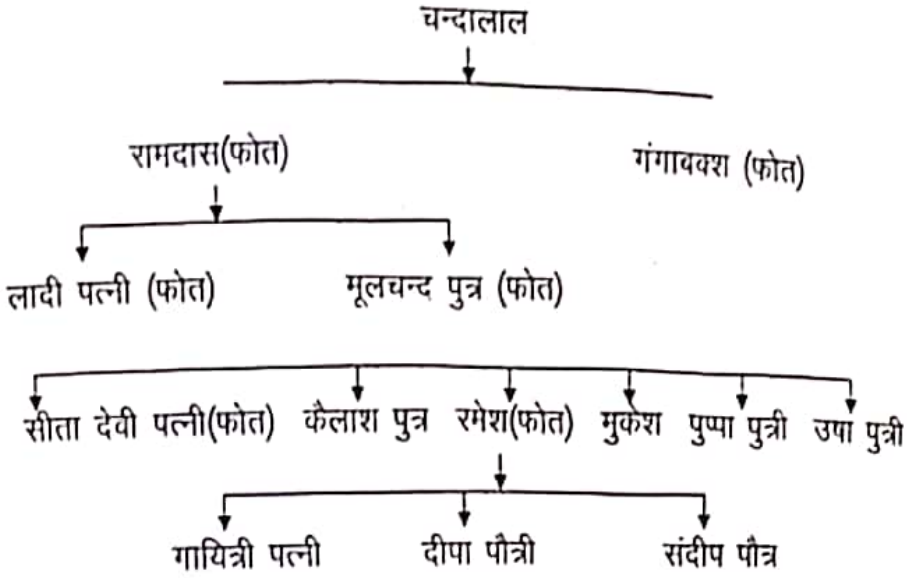

रामदास(फोत) — गंगाबक्श (फोत)

रामदास(फोत): लादी पत्नी (फोत) — मूलचन्द पुत्र (फोत)

मूलचन्द पुत्र (फोत): सीता देवी पत्नी(फोत) — कैलाश पुत्र — रमेश(फोत) — मुकेश — पुष्पा पुत्री — उषा पुत्री

रमेश(फोत): गायित्री पत्नी — दीपा पौत्री — संदीप पौत्र

ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा तहसील सांगानेर का भू-प्रबंध विभाग द्वारा वर्ष 1989 में पुनः सेटलमेंट किया गया था हाल सेटलमेंट के दौरान साबिक खसरा नंबर 97 से नए खसरा नंबर 168 मिन रकबा 0.02 हैक्टेयर तथा 171 मिन रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर बनाय गए तथा साबिक खसरा नंबर 98 के नए खसरा नंबर 168 मिन रकबा 0.57 हैक्टेयर खसरा नंबर 169 रकबा 0.01 हैक्टेयर खसरा नंबर 170 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 171 तथा मिन रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर कायम किये गये जबकि साबिक खसरा नंबर 98 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा के मैट्रिक प्रणाली से रकबा 0.84 हैक्टेयर बनते है जिसे सेटलमेंट के कर्मचारियों ने गैर कानूनी ढंग से रकबा कम करते हुए रकबा 0.63 हैक्टेयर दर्ज कर दिया और 0.21 हैक्टेयर कम करते हुए हाल खसरा नंबर 189 में मिला दिया इस प्रकार सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा रकबा कम दर्ज करना अवैध व गैरकानूनी है तथा प्रार्थीगण के मुकाबले अवैध व प्रभाव शून्य है कानूनन सेटलमेंट विभाग को पुरानी एंट्रीज को रिपीट करते हुए बीघा बिस्वा के स्थान पर मैट्रिक प्रणाली से हैक्टेयर व मीटर में दर्ज करना चाहिए था इसलिए हाल सेटलमेंट द्वारा की गयी रकबा कमी को प्रार्थीगण जरिये दावा संशोधित करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उक्त इन्द्राज के बाद 12.07.2016 को उक्त आराजी का नुम[illegible] तकासमा करते हुए दिनांक 12.07.2016 को तहसीलदार [illegible] सहमति के आधार [illegible] तकासमा [illegible] नामांतकरण सं. 366 तस्दीक करा लिया और खसरा नंबर 168 रकबा 0.3450 प्रतिवादी नंबर 1 अपने नाम लगवा ली तथा खसरा नंबर 168/1 रकबा 0.2450, 169 रकबा 0.01, 170 रकबा 0.04, 171 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.3450 प्रतिवादी नंबर 2 ने अपने नाम लगवाली जो कतई गैरकानूनी है जिसे अवैध

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

घोषित कराने का वादीगण को कानूनी अधिकार है। मुस्मात लादी बेवा रामदास की जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन मूलचन्द रामदास का पुत्र जीवित था और खातेदार लादी देवी के मरते ही आराजी वादग्रस्त का वह कानूनी रूप से खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु सेटलमेंट विभाग ने फर्जी कार्यवाही करते हुए तथा अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर उन्हें लाभ पहुंचाने की नियत से खिलाफ कानून प्रार्थीगण की हक पूर्वाधिकारी लादी देवी की खातेदारी आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को रामदास का पुत्र दिखाते हुए उनके नाम से फोती नामांतकरण संख्या 21 भरकर दिनांक 04.10.1989 को तस्दीक कर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम लगा दी जबकि वास्तविक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 घासीलाल के जायेन्दा पुत्र हैं, रामदास के जायेंदा पुत्र नही है रामदास व लादी का असली वारिस मूलचन्द पुत्र रामदास है क्योंकि लादी की जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन मूलचंद जीवित था और लादी की मृत्यु के तुरंत बाद ही लादी की खातेदारी भूमि उसे कानूनी रूप से प्राप्त हो गयी किन्तु सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने गैर कानूनी रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी जो प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभाव शून्य है, भू-प्रबंध विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही को प्रार्थीगण अवैध घोषित करवाने के अधिकारी हैं क्योंकि आराजी वादग्रस्त प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि है तथा प्रार्थीगण लादी के जायज व कानूनी वारिस होने से आराजी वादग्रस्त की खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी हैं। भू-प्रबंध विभाग द्वारा की गयी गैर कानूनी कार्यवाही के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने आराजी वादग्रस्त के संबंध में कभी कोई कब्जा करने या काश्त करने की कोई कोशिश नहीं की और प्रार्थीगण बदस्तूर काबिज रहकर आराजी वादग्रस्त को अपने काम मे लेते रहे हैं किन्तु अप्रार्थीगण दिनांक 05.06.2021 को वादग्रस्त आराजी पर उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर अपना अधिकार जताते हुए कब्जा करने की नियत से ऐलानिया धमकी दी तथा दिनांक 30.07.2021 को मौके पर भू-माफियाओं के साथ आये और वादग्रस्त आराजी पर नाजायज रूप से कब्जा करने की कोशिश की जिसे प्रार्थीगण ने बमुश्किल [illegible] ने ऐलानिया धमकी दी कि मौका मिलते ही अप्रार्थीगण [illegible] भू-माफियाआकें के सहयोग से कॉलोनी काटकर लोगो [illegible] कब्जा करवाकर [illegible] लेंगे और वादी को बेदखल कर देंगे, उक्त घटना से प्रार्थीगण को [illegible] अंदेशा है कि अप्रार्थीगण मौका पाकर कभी भी आराजी वादग्रस्त से प्रार्थीगण को बेदखल कर अपना कब्जा कर लेंगे और आराजी पर भू-माफिया लोगों को कब्जा दे देंगे या उक्त आराजी को

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मुन्तिकल कर देंगे इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्व दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना आवश्कय हुआ है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जावे तथा अप्रार्थीगण को ताहुक्मसानी दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 168, 168/1, 169, 170 व 171 प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी आराजी कब्जे की आराजी में किसी प्रकार की मजहामत मदाल्खत ना तो स्वंय करे ना ही अपने एजेंट सर्वेंट के मार्फत ही करावे तथा वादग्रस्त आराजी को दौराने दावा किसी को मुन्तकिल नहीं करें तथा रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें, किसी प्रकार का निर्माण आदि ना करे और ना ही किसी भू–माफिया के द्वारा आराजी वादग्रस्त पर कब्जा करने या प्लाटिंग का प्रयास ही करें तथा आराजी को कॉलोनी बसाने की नियत से आवासीय प्रयोजन में नहीं लेवें।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब टीआई पेश किया गया जिसमें अंकित है कि पुराना खसरा नंबर 97 व खसरा नंबर 98 जोकि ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा, पटवार हल्का लुनियावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है वह रामदास पुत्र श्री गोपी महाजन की खातेदारी की कृषि भूमि है, जिनकी पत्नी लादी देवी उनके बाद जरिये विरासत उक्त भूमि की खातेदार बनी। प्रार्थीगण द्वारा अंकित एवं वर्णित सजरा खानदान झूंठा एवं गलत होने से अस्वीकार है। रामदास पुत्र श्री गोपी महाजन नाऔलाद फौत हुये थे, रामदास के पिता गोपी एवं गोपीनाथ के पिता शिवनारायण व शिवनारायण के पिता नानूराम थे तथा रामदास जी की एकमात्र इकलौती बहन सरजू देवी भी सम्वत् 2034 में नाऔलाद फौत हुई। रामदास जी का देहान्त सम्वत् 2007 में एवं लादी देवी का देहान्त सम्वत् 2042 में हुआ। इसलिये प्रार्थीगण का रामदास पुत्र गोपी से वर्णित सजरा का उनसे कोई संबंध व सरोकार नही है। प्रार्थीगण कानूनन वर्णित आराजीयात से संबंधित कोई अनुतोष प्राप्त करने कोई अधि[illegible] है। पुराने खसरा नंबर 97 व 98 के नये खसरा नंबर 168, 169 [illegible] वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम खातेदारी काश्तकारी में [illegible] पृथक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकन है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य [illegible] कृषि भूमि का विभाजन कानूनन वैध है, कानूनन बिना स्वामित्व एवं स्वामित्व की घोषणा करवाये प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जोकि रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है को पाबन्द करवाने का

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कतई कोई हक व अधिकार नही रखते है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मुताबिक सजरा अनुसार रामदास पुत्र श्री चन्दालाल के वारिस होना बताते है जबकि वर्णित आराजीयात रामदास पुत्र श्री गोपी की कब्जा काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है, जिनकी मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण उनकी पत्नी लादी देवी के नाम स्वीकार हुआ। लादी देवी व रामदास के कोई संतान नही थी, इस कारण लादी देवी की मृत्यु के बाद उनके भाई घासीलाल जिनका लादी से पूर्व सम्वत् 2024 में देहान्त हो गया के पुत्र कृष्णा अवतार व केदार प्रसाद जोकि जन्म से ही लादी देवी के पास ही रहते थे, उनके एक मात्र जीवित वारिस है, जिनका नाम विरासत नामान्तकरण में दर्ज अंकन हुआ। प्रार्थीगण ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की जमीन को हड़पने का कृत्य किया हैं। स्व0 श्री रामदास के कोई भाई गंगाबक्श नाम का नही था। रामदास के एक बहिन थी जो भी नाऔलाद फौत हुई और रामदास के पिता का नाम चन्दालाल भी नही था। बल्कि वास्तविक तथ्य यह है कि रामदास के पिता का नाम गोपी है, जिनके कोई भाई नही था और रामदास व लादी देवी के भी कोई संतान पैदा नही हुई थी। ऐसी सूरत में रामदास व लादी देवी के जीवित वारिसान में स्व0 श्री रामदास की पत्नी लादी देवी के भाई घासीलाल के पुत्र कृष्णा अवतार व केदार प्रसाद ही जीवित वारिस थे और उक्त दोनो की परवरिश भी लादी देवी ने ही अपने पास रख कर गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा में की थी। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है और अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का निरन्तर प्रश्नगत सम्पत्ति कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज अदालत हाजा में पेश नही किया है जो यह साबित करता हो कि रामदास पुत्र श्री गोपी के वारिसान है। इसलिये प्रार्थीगण का ना तो कोई प्रथम दृष्टिया मामला बनता है और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं कानूनन पोषणीय नही होने से भारी हर्जे खर्चे पर खारिज फरमाया जावें।.

वहस प्रार्थना पत्र टीआई मय वकील उभयपक्ष सुनी गई। वहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद [illegible] न किया गया। मूलवाद प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा [illegible] घोषणा, इन्द्राज [illegible] निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी [illegible] खसरा नंबर 97, 98 कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा [illegible] काबिज खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण/वादीगण एवं तरतीबी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की पूर्वज मुसम्मात लादी बेवा रामदास थी जिनकी मृत्यु वर्ष 1985 में हो गयी है प्रार्थीगण/वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

व तरतीयी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण उनके कानूनी वारिस है। सेटलमेंट विभाग द्वारा साविक खसरा नंबर 97 के नये नंबर 168 मिन रकबा 0.02 हैक्टेयर तथा 171 मिन रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल रकबा 0.06 हैक्टेयर बनाये गए तथा साविक खसरा नंबर 98 के नये खसर नंबर 168 मिन रकबा 0.57 हैक्टेयर खसरा नंबर 169 रकबा 0.01 हैक्टेयर खसरा नंबर 170 रकबा 0.04 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 171 तथा मिन रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर कायम किये गये जबकि साविक खसरा नंबर 98 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा के मैट्रिक प्रणाली से रकबा 0.84 हैक्टेयर बनते है जिसे सेटलमेंट के कर्मचारियों ने गैर कानूनी ढंग से रकबा कम करते हुए रकबा 0.63 हैक्टेयर दर्ज कर दिया और 0.21 हैक्टेयर कम करते हुए हाल खसरा नंबर 189 में मिला दिया जिसे वादीगण संशोधित करवाने के अधिकारी है। तथा सेटलमेंट विभाग ने फर्जी कार्यवाही करते हुए तथा अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर उन्हें लाभ पहुंचाने की नियत से खिलाफ कानून प्रार्थीगण की हक पूर्वाधिकारी लादी देवी की खातेदारी आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को रामदास का पुत्र दिखाते हुए उनके नाम से फोती नामांतकरण संख्या 21 भरकर दिनांक 04.10.1989 को तस्दीक कर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम लगा दी जबकि वास्तविक रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 घासीलाल के जायेन्दा पुत्र हैं, रामदास के जायेंदा पुत्र नहीं है रामदास व लादी का असली वारिस मूलचन्द पुत्र रामदास है।

उक्तानुसार प्रार्थीगण/वादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात को स्व0 लादी देवी पत्नी रामदास की खातेदारी को होने से एवम् स्वयं व तरतीवी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को स्व0 लादी देवी का वारिस बताते हुए उक्त वाद प्रस्तुत किया हैं। हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजीयात अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में हाल इन्द्राज के विरूद्व प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा नही यह मूलवाद में निर्धारित किया जाने वाला बिन्दू है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के दृष्टिकोण से विचार किया जाना है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात खतौनी बन्दोबस्त संवत 2015 से 2034 में साविक खसरा नंबर 97 व 98 की खातेदार मु0लादी बेवा रामदास वर्णित दस्तावेजात से यह जाहिर है कि वादग्रस्त आराजीयात खातेदारी मु0लादी बेवा रामदास की थी। लेकिन प्रकरण के इस स्तर पर निर्धारित नही किया जा सकता है कि मु0लादी बेवा रामदास के वारिस वादीगण है या प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता प्रतीत होता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वादग्रस्त आराजी पर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 16:43:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कब्जा प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अपना बताया है व अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में कब्जा अपना बताया है, ऐसे में कब्जे का निस्तारण बिना साक्ष्य/दस्तावेजात के नही किया जा सकता है। अगर इस स्तर पर जब मूलवाद का निस्तारण नही हुआ हो उभयपक्ष को अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश से पावन्द नही किया जाता है तो तुलनात्मक रूप से असुविधा व अपूरणीय क्षति उभयपक्ष की होना सम्भावित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूलवाद के निस्तारण तक पावंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 168, 168/1, 169, 170 व 171 कुल किता 5 कुल रकबा 0.69 हैक्टेयर वाकै ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित की मौका एवम् रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर

आदेश आज दिनांक 27.05.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2022.06.24 15:43:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner